"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2007—ज्येष्ठ 25, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. कलेक्टर, बस्तर को दिनांक 11-06-2007 से 15-06-2007 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16 एवं 17 जून, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ,कलेक्टर, जिला-बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-05-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी.एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, उ. ब. कांकेर को दिनांक 23-05-2007 से 02-06-2007 तक (11 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 21-05-2007 से 02-06-2007 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 मई 2007 तथा दिनांक 03 जून, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं कृषि विभाग को दिनांक 25-06-2007 से 07-07-2007 (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-06-2007 एवं 08-07-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री बिहारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक एफ 4-6/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्णकांत चन्द्रा, सचिव सेर्वज्ञ सेवा संस्थान, ग्राम व पोष्ट नगझर, विकास खंड-मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. एवं श्री व्यास नारायण कश्यप, कार्यकारणी सदस्य, जिला कृषक कल्याण समिति, ग्राम व पोष्ट-नैला, जिला जांजगीर-चांपा छ. ग. को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिये जिला योजना समिति, जिला-जांजगीर-चांपा में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2007

क्रमांक/1981/डी-15/90/2006/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 204-11334-चौदह-1 भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 1974 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुंद के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान पर बने समस्त संरचना अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम भीमखोज (खल्लारी) तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद में स्थित खसरा नं. 862, रकबा 1.80 एकड़ तथा खसरा नं. 992 रकबा 3.50 कुल रकबा 5.30 एकड़ भूमि का क्षेत्र :—

सीमायें—

1. **उत्तर में** - खल्लारी पहाड़
2. **दक्षिण में** - संतराम का खेत
3. **पूर्व में** - खल्लारी पहुंच मार्ग (पी. डब्ल्यू. डी. रोड़)
4. **पश्चिम में** - देवी प्रसाद दीनदयाल का खेत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2007

क्रमांक/1981/डी-15/90/2006/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1981 दिनांक, 26-5-07 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 26th May 2007

No. 1981/D-15/90/2006/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares that effect from the date of its publication in the official, Gazette, the following places including any structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard Bagbahara, District Mahasamund declared vide departmental notification No.-204-11334-fourteen-1 Bhopal dated 09-01-1974 :—

PLACE

Land Bearing Khasara No.-862, area 1.80 acres and Khasara No.-992, area 3.50 acres total area 5.30 acres situated at village Bhimkhoj (Khallari) Tahsil Mahasamund, District Mahasamund surrounded by,—

1.	**North side**	-	Khallari Pahad
2.	**South side**	-	Agriculture land of Santram
3.	**East side**	-	Khallari Approach Road (PWD Road)
4.	**West side**	-	Agriculture land of Devi Prased Dindayal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 जून 2007

क्रमांक/एफ 4-1/30/सं./07.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान के रचनात्मक प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु सचिव का एक पद राजपत्रित सेवा श्रेणी-2, वेतनमान 8000-13500 की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह आदेश वित्त विभाग के एकल नस्ती क्रमांक 5 दिनांक 22-3-2005 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत किया गया है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन एवं विधान

क्रमांक/एफ 1-6/30/सं./07.—छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. टी. सी./30/सं./2006, दिनांक 27-7-2006 के द्वारा सिंधी साहित्य संस्थान के गठन का निर्णय लिया गया. सिंधी साहित्य संस्थान के संचालन एवं विनियमन हेतु निम्नांकित प्रावधान/निर्देश मान्य किये जाते हैं.

सिंधी साहित्य संस्थान का उद्देश्य

सिंधी साहित्य संस्थान संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में होगी जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष पोषण अनुदान प्राप्त होगा. इस तरह स्थापित सिंधी साहि[illegible] संस्थान के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सिंधी भाषा एवं साहित्य के संरक्षण एवं विकास के लिये आवश्यक प्रयत्न एवं समस्त उपाय करना हो[illegible].

संस्थान का गठन

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान' गठित करने के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मनोनयन छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सिंधी साहित्य एवं संस्कृति के जानकार प्रतिष्ठित 6 व्यक्तियों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा.

संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के सदस्यों की तीन माह में कम से कम एक बैठक होगी जिसमें भविष्य में किए जाने वाले आयोजनों/क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही पिछली गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी.

अध्यक्ष के अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सामान्य सभा की बैठक के लिए तत्समय गठित सामान्य सभा के कुल सदस्यों की 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी.

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य स्थान' की गतिविधियों हेतु सिंधी भाषा एवं साहित्य के तीन विद्वानों को शासन द्वारा सलाहकार के रूप में नामांकित किया जाएगा, जो समय-समय पर संस्थान की गतिविधियों एवं क्रियाकलाप के संबंध में मार्गदर्शन देंगे.

संस्थान के कार्यों के संपादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर एक राजपत्रित स्तर के एक अधिकारी की पदस्थापना संस्थान के सचिव के रूप में होगी जिनके वेतन एवं भत्तों के लिए बजट में पृथक से प्रावधान होगा. सचिव की विधिवत् नियुक्ति होने तक संस्थान के अध्यक्ष, संस्थान से संबंधित सभी कार्यों का संचालन करेंगे.

संस्थान के सुचारू रूप से संचालन एवं कार्य यथाशीघ्र करने के लिये अध्यक्ष द्वारा कार्यालय हेतु भवन की व्यवस्था तथा बैंक में संस्थान का पृथक खाता खोलने एवं अन्य आवश्यक प्राथमिक कदम उठाया जाना अपेक्षित होगा. संस्थान का एक पी. डी. एकाउन्ट खोला जाएगा, जिसमें आवंटित अनुदान राशि जमा की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार राशि का आहरण किया जा सकेगा.

बजट आवंटन

संस्थान के नियमित संचालन, रख-रखाव, मानदेय तथा आयोजनों के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हेतु संस्कृति विभाग द्वारा, उपलब्ध बजट में से संस्थान को पोषण अनुदान आवंटित दिया जा सकेगा.

लेखा एवं लेखा संधारण

1. संस्थान का पृथक से बैंक खाता संधारित होगा.
2. इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी संस्थान के सचिव होंगे.
3. किसी भी वित्तीय तथा आयोजनों से संबंधित कार्य के लिए आहरण समिति की बैठक में निर्णय एवं प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुमति से स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
4. संस्था का आय-व्यय पंजी पृथक रूप से समुचित लेखा तैयार कर रखा जायेगा. प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा. जो कि द्वि-प्रतिष्टि प्रणाली के आधार पर लिखा गया होगा.
5. संस्था द्वारा तैयार किया गया लेखा को प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रस्तुत किया जायेगा. जिसे विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा.
6. संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय द्वारा भी वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के आय-व्यय का आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाएगा. पिछले लेखा परीक्षण के आधार पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा.
7. संस्थान द्वारा त्रैमासिक (व्यय तथा आयोजनों से संबंधित) प्रगति प्रतिवेदन विभाग की प्रस्तुत किया जाएगा.
8. प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष माह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक क्रियाकलापों से संबंधित कैलेण्डर तैयार कर संचालनालय में प्रस्तुत किया जाएगा.
9. छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले आयोजनों एवं व्यय नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग तथा संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा जारी दिशा-निर्देशन का पालन किया जाएगा.

बजट आंकलन

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान' का वार्षिक व्यय हेतु पोषण अनुदान हेतु बजट आंकलन प्रशासकीय विभाग (संस्कृति) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. संस्थान के प्रारंभिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान को प्रथम वर्ष कार्यालयीन व्यवस्था हेतु उपरोक्त पोषण अनुदान के अतिरिक्त पृथक से राशि 1,50,000/- का आवंटन देय होगा. तदोपरांत अध्यक्ष, सिंधी साहित्य संस्थान द्वारा वार्षिक योजना संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व को भेजी जावेगी. संस्थान को पोषण अनुदान की राशि 2 अथवा 3 किश्तों में देय होगी. उपर्युक्त अनुमानित राशि के अतिरिक्त विशेष आयोजनों हेतु आवश्यकतानुसार संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मांग किये जाने पर अतिरिक्त आवंटन प्रशासकीय विभाग की सहमति से जारी किया जा सकेगा.

Raipur, the 4th June 2007

Contribution and By Laws of "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan"

No. F 1-6/30/सं./07.—Vide order No.F.T.C./30@/2006 dated 27-7-2006 of Deptt. of Culture of Govt. of Chhattisgarh it has been decide to contribute Sindhi Sahitya Sansthan following provisions/instruction are accepted to direct and regulate Sindhi Sahitya Sansthan.

Purpose of Sindhi Sahitya Sansthan

Sindhi Sahitya Sansthan will be an autonomous institute under the Deptt. of Culture which will receive annual maintenance grant. The purpose of contribution of this way established Sindhi Sahitya Sansthan will be to effort and work on all potions to preserved develop Sindhi language and literature.

Contribution of Sansthan

Deptt. of Culture, Govt. of Chhattisgarh will nominate president and Vice president for three years to contribute "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan" Apart of it six reputed previous in executive members will also be nominated by the Govt.

There will be at least a meeting in three months of President, Vice President and executive members in which format will be prepared for future programmer/activities along with evalluation of activities.

Vice President will precide the meetings in the absence of the president and for the meeting of General Body, presence of 50% members of them contributed members of the General Body will complete the quorum.

The Government will nominate three eminent pernorms of Sindhi Language and literature as the advisors who will provide timely guidance in respect of activities and function of the Sansthan.

An officer of level will be appointed on deputation as the secretary of the sansthan to edit the tasks of the sansthan to whose salary and arrears there will be separate provision in the budget. The president will manage direct all the tasks of the Sansthan till the official/legal appointed of the Secretary.

It is expected that the president will arrange a building for the office and will open a separate account of the Sansthan and will initiate others primary essential steps. APD account of the Sansthan will be opened in which amount allocated grant will be deposited and amount will be drawn as per the need Allocation of Budget.

From the available budget the Culture Department will allocate maintenance grant to this Sansthan for Financial management regular directory, maintenance, honorarium and programmes.

Account and maintanance of Account

1. There will be a Separate bank account of the Sansthan.
2. The secretary will be the drawing and disbursing officer.
3. Permission will be granted for any task related it's financial and programmes with the permission of President and Vice president after barring. The proposal and decision in the meeting withdrawal committee.
4. There will be separate complete operate account statement to registers income and expenses of the Sansthan. Income-expense statement will be submited. Every year as on 31st March will be written on bi-entry system.
5. The account statement has to be submitted to Directorate after getting it audited by a Chartered Accountant and rescuing the certificate every year will be submitted to the government by the Department.
6. There will be an internal audit of income and expences of the Sansthan by the directorate of Culture and Archaeology at least once in an year. In the branch of Audit subnet and utilization certificate only the release of grants for the next financial year at trench on in parts will be considered.
7. Sansthan will submit trimester progress report (related to expenses and programmes) to the department.
8. A calander for annual activities from 1st April to 31st March will be prepared and submitted to the department every year.
9. The Sindhi Sahitya Sansthan will abide to the direction issue by the Directorate, Culture and Govt. of Chhattisgarh for organization of programmes time to time and for expense control.

Budget Estimate

The budget estimate annual expenses of "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan will be proposed by the Administrative Department (Culture). The initial requirements an allocation of Rs. 1,50,000/- will be payable to the Sansthan for office management. After that annual planning will be sent by the president to Directorate Culture and Archaeology . The maintenance grant will be paid to the Sansthan in 2 or 3 installments. Apart of also estimated amount available additional allocation will be considered after approval of Administrative Department (Culture)/ Finance Department on the Demand of the President for special programmes.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेश चन्द्र गुप्ता, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 जून 2007

क्रमांक एफ 10-3/2007/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा-3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-13/2007/16, दिनांक 09 मार्च 2007 को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एल. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रम आयुक्त नियुक्त करता है.

Raipur, the 1st June 2007

No. F 10-3/2007/16.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act 1960 (No. 27 of 1960) and in super session of C. G. Labour Department notification No. F 1-13/2007/16, dated 09 March, 2007 the State Government here by appoints Shri B. L. Agrawal to be the "Commissioner of Labour" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2007

क्रमांक 254/13/ऊ. वि./2007.—राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम सं.-54) की धारा-5 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं.-36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 9 जून, 2007 की अवधि से आगामी 6 माह तक अर्थात् 9 दिसम्बर 2007 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2007

क्रमांक 1138/13/ऊ. वि./2007.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के लिये संलग्न पुस्तिका अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अधिसूचित करती है.

2. यह योजना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 25th May 2007

No. 1138/13/Energy Deptt/2007.—In compliance with Sections 3.4 of the Central Govt. "Rural Electricity Policy" and under the provisions contained in section 4 and 5 of the Electricity Act, 2003, the Government of Chhattisgarh intends to notify the Rural Electrification Plan for the State to achieve the National goal for providing access to electricity for all rural households during the next five years. This is also as per the provision under section-2 of National Electricity Policy i. e. by 2012.

This Plan will come into force from the date of its notification.

01. INTRODUCTION AND OBJECTIVE: -

1.1 Ministry of Power, Govt. of India vide its resolution No.-44/26/05-RE (Vol-VII) dated 23.08.2006 has modified the National Rural Electrification Policy. In accordance with and in compliance of section-6 of Electricity Act- 2003, Govt. of Chhattisgarh hereby notifies the Rural Electricity Plan in accordance with the National Rural Electricity Policy for achieving the following objectives: -

- Provision for access to electricity for all rural households during the next five years.
- Quality and reliable power supply at reasonable rates.
- Minimum life line consumption of 01 unit per households per day as a merit goal by year 2012

1.2 Para No.-3.4 of the said policy stipulates that the State has to prepare and notify a Rural Electrification Plan to achieve the goal for access to electricity for all households.

1.3 The Govt. of India has introduced a new scheme "Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna (RGGVY) – scheme for Rural Electricity Infrastructure and Households electrification and the guidelines were issued by Ministry of Power, Govt. of India vide letter No.-44/19/2004-D (RE) dated 18th March 2005. The scheme would be implemented through Rural Electrification Corporation (REC), which has been designated as the Nodal Agency. The responsibility of implementation of the district wise projects under the scheme have been entrusted to CPSUs for execution of the projects on a turn-key basis namely NTPC, PGCIL & NHPC.

1.4 Deployment of franchisees for the management of rural distribution in projects financed under the scheme and ensure determination of bulk supply

tariff for franchisees in a manner which ensures their revenue return substantially with improved services to consumers.

1.5 In view of the targets included in the National Electricity Policy it is essential to develop generation capacity in power sector to meet the above goals which are included in Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna as framed by Ministry of Power.

1.6 The Govt. of Chhattisgarh shall be the owner of the assets created in the implementation of the projects as proposed by the State Govt. and sanctioned by REC. The Govt. of Chhattisgarh shall authorize CSEB to operate and maintain these assets for effective power supply in the project areas and derive consequential benefits out of the assets created under the project by way of revenue to be received against O&M of the system and the cost of power supplied.

1.7 Now, therefore in consideration of foregoing para, Govt. of Chhattisgarh notifies the Rural Electrification Plan for the State.

1.8 Rural Electrification Plan shall be a five year plan beginning from April '2007 and will be known as: - "*Rural Electrification Plan 2007-2012*" and shall fulfill objective with regard to providing reliable and quality power supply to the consumers within the State, besides access to electricity to all house-holds in next five years, with achievement of merit goal of 01 KWH (Unit) per house hold per day by the year 2012.

2. APPROACH TO RURAL ELECTRIFICATION: -

For villages intensive distribution net-work having distribution voltage of 11000 Volts & 440 Volts shall be developed and necessary infrastructure of distribution net-work such as Sub-station, distribution transformer, LT Line, complaint centers etc. shall be developed. The development of infrastructure is to be ensured in the schemes under implementation by PSUs and setting up of complaint centers and related mechanism to ensure services to consumers by the franchisee (s).

Each electrified village included in the plan shall include: -

- Basic infrastructure such as Distribution Transformer and Distribution Lines in the inhabited locality as well as a minimum of one Dalit Basti/ Hamlet where it exists; and
- Electricity provided to public places like Schools, Panchayat Office, Health Centers, Dispensaries, Community Centers etc.; and
- Number of households electrified to be atleast 10% of the total number of households in the village.

Further, plan shall also encourage domestic lightning scheme for such areas which are not covered under RGGVY and may provide for following: -

- To have stand alone local distribution net-work based on solar lightning system or any other resource like wind etc..
- To have stand alone local distribution based on generator running on Bio-diesel or diesel in rural areas which are being notified as Rural areas as per the provision of Electricity Act-2003.

3. *SCHEME FOR RURAL ELECTRICITY INFRASTRUCTURE & HOUSEHOLD ELECTRIFICATION – RGGVY:* -

The Govt. of India, Ministry of Power has reviewed the existing schemes of Rural Electrification recently and has launched a comprehensive programme of RGGVY in which all the 16 districts of the State are included. Under this scheme the project will be financed with 90% capital subsidy for provision of-

- Rural Electricity Distribution Backbone (REDB)
  - Provision of 33/11 kV (or 66/11 kV) sub-stations of adequate capacity and lines in blocks where these do not exist.
- Creation of Village Electrification Infrastructure (VEI)
  - Electrification of un-electrified villages.
  - Electrification of un-electrified habitations.
  - Provision of distribution transformers of appropriate capacity in electrified villages/ habitation(s).

4. *DECLARATION OF VILLAGE/ MAJRA-TOLA (HAMLET) AS ELECTRIFIED:* -

As per the definition of an electrified village specified vide MoP letter No.-42/1/2001 D(RE) dtd. 5th February 2004, a village would be declared as electrified based on the certificate issued by Gram Panchayat certifying that: -

- Basic infrastructure such as Distribution Transformer and Distribution Lines are provided in the inhabited locality as well as a minimum of one Dalit Basti/ Hamlet where it exists; and
- Electricity is provided to public places like Schools, Panchayat Office, Health Centers, Dispensaries, Community Centers etc.; and
- The number of households electrified are atleast 10% of the total number of households in the village.

As per the RE plan 2007-12 adopted by Govt. of Chhattisgarh State, Govt. shall notify a village as electrified only after fulfiling the above mandatory requirement.

Gram Panchayat/ association of consumers subject to fulfilment of the technical and financial requirement shall be involved in the development of various activities in the business of electricity including responsibility of operation and maintenance of distribution net-work in Rural areas.

05 TAKING OVER OF RE PROJECT BY CSEB OR PANCHAYAT/ LOCAL COMMUNITY:

5.1 The concerned CPSU will intimate and handover the project to Chhattisgarh State Electricity Board upon successful commissioning and test charging of the same (In part or full, as the case may be) and CSEB will take over the project(s) and commence operation and maintenance of the project(s) at their own expenses and shall also ensure compliance of provisions as indicated in the quadripartite agreement. CSEB will issue necessary taking over certificate subject to rectification of defects/ faults, if any.

5.2 The operation and maintenance of the same shall be the responsibility of CSEB, as and when the project is commissioned and taken over by CSEB.

06. DEVELOPMENT OF STAND ALONE SYSTEM IN RURAL AREAS BASED ON GENERATOR RUNNING ON BIO FUEL OR DIESEL: -

Govt. of Chhattisgarh has already notified the Rural areas in the State as per clause-14 of Electricity Act-2003 which is displayed as below.

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 80/13/ऊ.वि./वि.अधि. 03/2006 रायपुर, दिनांक 07.01.2006

प्रति,

सचिव,
छ.रा.विद्युत मंडल,
डंगनिया, रायपुर

विषय :– राज्य में विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने के संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना।

संदर्भ :– अधिसूचना क्र. 75–76/ऊ.वि./13/वि.अधि./ग्रा.क्षे./06 दि. 6.1.06

विषयांतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–14 के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु जारी की गई अधिसूचना क्र. 75–76/ऊ.वि./13/वि.अधि./ग्रा.क्षे./06 दि. 6.1.2006 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

क्रमांक 81/13/ऊ.वि./वि.अधि. 03/2006 रायपुर, दिनांक 07.01.2006

प्रतिलिपि :–

मुख्य अभियंता (राजनांदगांव क्षेत्र), छ.रा.विद्युत मण्डल, राजनांदगाँव की ओर नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय को पृष्ठांकित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर निर्देश है कि प्रकाशित राजपत्र की 300 प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 6.1.06

क्रमांक : 75/ऊ.वि./13/वि.अधि./ग्रा. क्षेत्र/06 : विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा–14 के उपबंध–8 व सहपठित धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के 11 जिलों यथा बस्तर, कांकेर, दंतेवाडा, राजनांदगाँव, कवर्धा, रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, सरगुजा के अंतर्गत निम्न तालिका में दर्शाये गये विकास खण्डों के अन्तर्गत गठित पंचायतों के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को उक्त केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–14 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित करती है।

2. राज्य के ग्यारह जिलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु चयनित विकास खण्डों को दर्शाने वाली तालिका :–

क्र.	जिले का नाम	जिले के अंतर्गत चयनित विकास खण्डों के नाम	विद्युत सेवा हेतु छराविमं. के प्रशासकीय संभाग का नाम
1	बस्तर–जगदलपुर	दरभा, ओरछा,माकड़ी, बड़ेराजपुर	संचा. संधारण संभाग जगदलपुर
2	कांकेर	दुर्गकोंदल, कोयलीबेड़ा	संचा. संधारण संभाग कांकेर
3	दंतेवाड़ा	भैरमगढ़, उसुर, भोपालपट्टनम, कटेकल्याण, छिंदगढ़	संचा. संधारण संभाग दंतेवाड़ा
4	राजनांदगांव	मोहला, मानपुर	संचा. संधारण संभाग डोंगरगढ़
5	कवर्धा	बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया	संचा. संधारण संभाग कवर्धा
6	रायपुर	गरियाबंद, मैनपुर, छूरा, बिलाईगढ़, देवभोग	संचा. संधारण संभाग नवापारा–राजिम
7	जांजगीर–चांपा	पामगढ़	संचा. संधारण संभाग चांपा
8	कोरबा	करतला	संचा. संधारण संभाग कोरबा
9	जशपुर	मनोरा	संचा. संधारण संभाग पत्थलगांव
10	कोरिया	सोनहत व भरतपुर	संचा. संधारण संभाग मनेन्द्रगढ़
11	सरगुजा	शंकरगढ़, कुसमी, ओडगी	संचा. संधारण संभाग अंबिकापुर

3. उपरोक्त तालिका में सम्मिलित जिलों/विकास खण्डों की सूची में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(पी. के. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

पृ.क्र.: 76 / ऊवि / 13 / वि.अधि. / ग्रा.क्षेत्र / 06 रायपुर, दिनांक 6,1.2006

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
2. निज सहायक, मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
3. निज सहायक, मान. मंत्री जी,उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
4. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष, छ.रा.विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।
6. मुख्य परियोजना प्रबंधक,रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, जे.डी.ए. बिल्डिंग, मदनमहल, जबलपुर—482001 (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। क्र. 5 व 6 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, जन सम्पर्क, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार – प्रसार हेतु।
9. सचिव, छ.रा.विद्युत मंडल, डंगनिया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु। प्रकाशित राजपत्र की 300 प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने का निवेदन है।

सही / –
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

Govt. is committed to encourage the development of local stand alone system in the area based on generation of electricity from the generators running on bio-diesel or diesel. State Govt. shall facilitate such projects by giving quick clearances through administrative measures such as single window clearance with easy access for giving necessary approval in a time bound manner to fully utilize the potential of our local resources. This will cover those areas which are otherwise not being electrified from the grid power.

07. MONITORING OF THE PLAN: -

The progress of the plan shall be monitored by the State Govt. through a high level committee headed by Principal Secretary (Energy), on a quarterly basis and Govt. shall facilitate the resolution of all the difficulties in the implementing of the works under RGGVY and achieve the objectives of the plan.

09. PLANNING FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE TO MEET THE DEMAND GROWTH ON IMPLEMENTATION OF RGGVY

The direct & indirect increase in demand for electricity as a result of implementation of RGGVY will necessitate augmentation of Generation, Transmission and Sub-transmission infrastructure. The plan made for augmentation of Generation capacity expansion of Transmission and Sub-transmission to cope-up with the increase in demand is out lined as below: -

08.1 Chhattisgarh has enough administrative capacity to build power plants. Plant wise Investment Plan for Generation of electricity in next five years has been shown below. It is evident that Chhattisgarh State has planned for enhancement of Generation capacity to meet the demand of RGGVY alongwith future load growth under Normal Development works.

INVESTMENT PLAN - GENERATION WING

Debit Equity ratio	Amt. Rs. In Crore	FY-08	FY-09	FY-10	FY-11	FY-12	FY 08-12
	CSEB's projects						
	Korba East (2x250 MW) Project cost Rs. 2410 Cr.	**800**	**312**	**0**	**0**	**0**	**1112**
20%	Equity	160	62	0	0	0	222
80%	Debt	640	250	0	0	0	890
	Korba West (2x250-300 MW) Project cost Rs. 2598 Cr.	**460**	**1146**	**898**	**80**	**0**	**2584**
20%	Equity	92	229	180	16	0	517
80%	Debt	368	916	719	64	0	2067
	Marwa (2x500 MW) Project cost Rs. 4498 Cr.	**225**	**900**	**1574**	**1349**	**443**	**4491**
20%	Equity	45	180	315	270	89	899
80%	Debt	180	720	1259	1080	354	3593
	Mini Hydel (0.85 MW)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
100%	Equity	2	0	0	0	0	2
	Capital Exp. (Including Rennovation & Mod. Exp)	**298**	**428**	**520**	**180**	**185**	**1611**
20%	Equity	60	86	104	36	37	323
80%	Debt	238	342	416	144	148	1288
	Projects through Joint Venture						
	Korba South (2x500 MW) Project cost Rs. 4000 Cr.	**10**	**42**	**73**	**62**	**21**	**208**
26% of	Equity	10	42	73	62	21	208
20% equity							
	JV- CSEB & IFFCO (2x500 MW) Cost Rs. 5100 Cr.	**51**	**130**	**137**	**46**	**33**	**397**
26% of	Equity	51	130	137	46	33	397
30% equity							
	JV- Bodhghat Hydel (4x125 MW) Cost Rs. 2830 Cr.	**1**	**1**	**5**	**10**	**8**	**25**
49% of	Equity	1	1	5	10	8	25
20% equity							
	Total	**1847**	**2959**	**3207**	**1727**	**690**	**10430**
	Equity	**421**	**730**	**814**	**440**	**188**	**2593**
	Debt	**1426**	**2228**	**2394**	**1288**	**502**	**7838**

08.2 Provision for erection of new 400 KV, 220 KV, 132 KV line & 400 KV S/s and 220 KV S/s has been made in next five years which has been shown below: -

Power Evacuation Scheme with Joint Venture and tarrif base bidding

ABSTRACT

	Scheme Provision			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	KM/ MVA	CKM	Amt. Rs. In Crore	KM/ MVA	Amt. Rs. In Crore	KM/ MVA	Amt. Rs. In Crore	KM/ MVA	Amt. Rs. In Crore	KM/ MVA	Amt. Rs. In Crore	KM/ MVA	Amt. Rs. In Crore
400 KV Line	1465.28	2930.56	2133.100	65.00	151.40	286.84	404.70	460.00	642.00	443.44	625.00	210.00	310.00
220 KV Line	141.50	283.00	68.940	20.00	13.67	71.50	43.45	50.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
132 KV Line	16	32	6.485	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
400 KV S/s	3 No./ 945 MVA		375.000	0.00	60.00	2 No./ 630 MVA	90.00	0.00	90.00	1x 315 MVA	85.00	1 No./ 315 MVA	50.00
220 KV S/s	2 No./ 320 MVA		80.000	0.00	20.00	1x 160 MVA	50.00	1x 160 MVA	10.00				
Grand Total	1622.78 KM/ 945 MVA/ 320 MVA	3245.56	2663.53	85.00	245.07	358.34 KM/ 790 MVA	589.15	526 KM/ 160 MVA	759.31	443.44 KM/ 315 MVA	710.00	210 KM/ 315 MVA	360.00

08.3 Provision for development of Sub-transmission infrastructure to cope up the demand of other consumers in next five years alongwith RGGVY load growth has been shown below: -

BASE BUSINESS PLAN – DISTRIBUTION WING

Particular	Total project cost	FY08	FY09	FY10	FY11	FY12	FY 08-12	Debts	Grant	Equity	Remarks
RGGVY-Rural Electrification (Conv means)	1136	362	438	236			1036	0%	100%	0%	90% grant from Central Govt.. and balance 10% from State Govt
APDRP	166	80	24				104	75%	25%	0%	
Atal Jyoti Yojna	618	100	200	293			593	0%	100%	0%	
Agriculture pump (11500 pumps)	450	150	40	40	40	40	310	0%	0%	100%	Equity-100% grant of Rs. 110 Cr. in 2007-08
Sub-transmission and Normal Development work	1077	232	160	150	150	150	842	15%	0%	85%	Loan based on requirement
Total	**3447**	**924**	**862**	**719**	**190**	**190**	**2885**				

08.4 Investment Plan for the State for next five years towards development of Generation, Transmission and Distribution has been shown below: -

CSEB - INVESTMENT PLAN

Detailed investment Plan - CSEB						(Rs. In Cr)
Amt. Rs. In Crore	**FY-08**	**FY-09**	**FY-10**	**FY-11**	**FY-12**	**FY 08-12**
Generation - Total investment	**1847**	**2958**	**3208**	**1727**	**689**	**10429**
Loan	1426	2228	2394	1288	502	7838
Grant						
Equity	420	730	814	439	187	2590
Transmission - Total investment	**539**	**1107**	**1411**	**871**	**249**	**4177**
Loan	429	876	1114	674	193	3286
Grant						
Equity	110	231	297	197	56	891
Distribution - Total investment	**927**	**863**	**723**	**195**	**190**	**2898**
Loan	62	19	1	1	0	82
Grant	593	644	529	0	0	1766
Equity	272	200	193	194	190	1049
Total investment plan	**3313**	**4928**	**5342**	**2793**	**1128**	**17504**
Total Loan	**1917**	**3123**	**3509**	**1963**	**695**	**11207**
Total Grant	**593**	**644**	**529**	**0**	**0**	**1766**
Total Equity	**802**	**1161**	**1304**	**830**	**433**	**4530**

9.0 SUSTAINIBILITY OF BPL TARIFF

Sustainability has been aimed at by keeping the tariff for the life line consumption of 01 unit per day by BPL house-holds reasonable as compared to the tariff applicable to domestic lightning. The State Govt. is already meeting the gap amount between the tariff so determined by the regulator. Entire amount of life line

consumption of 01 unit per day by BPL consumers is reimbursed by the State Govt. as a subsidy to State utility. An order copy issued on this behalf by State Govt. of CG vide No.-59/SS (E)/F-21/01/02/13/2007 dated 18.02.2007, which is displayed below: -

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

रायपुर दिनांक : 18.2.2007

क्रमांक : 59 / SS (बी)/एफ–21/01/2/तेरह/2007: राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से जारी किये गये एक बत्ती विद्युत कनेक्शनों के अंतर्गत की गई बिजली की खपत के एवज में देय भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :–

1. विद्युत मंडल से प्राप्त मांग अनुसार राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के द्वारा दिनांक 1.7.2005 से दिनांक 31.12.2006 की अवधि में देय बकाया राशि यथा रुपये 14.32 करोड़, का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में प्रत्येक संबंधित उपभोक्ता को बकाया राशि निरंक दर्शाते हुए संशोधित बिजली देयक जारी किया जायेगा।

2. दिनांक 01.01.2007 से राज्य में बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को जारी किये गये कनेक्शनों पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 से लागू किए गए टैरिफ आदेश में प्रावधानित शर्तों के अधीन, प्रत्येक माह अधिकतम 30 यूनिट खपत की सीमा में निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(देवासीष दास)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

10.0 FIXATION OF BULK SUPPLY TARIFF FOR FRANCHISEES

10.1 In the first stage, cash-collection based franchisees have been developed in different district of the State. However, the issue of fixing bulk supply based tariff, for the development of franchisees is under review and will be implemented with the approval of State Electricity Regulatory Commission in due course of time.

11.0 Setting up RGGVY infrastructure: -

REC has concluded Memoranda of Understanding (MoUs) with NTPC, Power grid, NHPC and DVC to make available the project management expertise and capabilities of these organizations to States wishing to use their services.

- State Govt. of Chhattisgarh and Chhattisgarh State Electricity Board have entrusted the rural electrification work from concept to commissioning to CPSUs viz. National Hydel Power Corporation Ltd. (NHPC), NTPC Electric Power Supply Company Ltd. (NESCL) & Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL).
- Quadripartite agreement between Rural Electrification Corporation Ltd. (REC Ltd.), State Government of Chhattisgarh, Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB) and concerned Central Power Sector Unit (CPSU) have been executed on dates as shown below:-

Name of CPSUs	Date of agreement	Allocated Districts.
NHPC	30.08.2005	Seven Districts viz.- Raipur, Dhamtari, Mahasamund, Durg, Kabirdham (Kawardha), Rajnandgaon & Kanker.
NTPC	08.08.2005	Five Districts viz.- Korba, Bilaspur, Raigarh, Jashpur-Nagar & Janjgir-Champa.
PGCIL	16.11.2005	Four Districts viz.- Koriya, Surguja, Bastar & Dantewada.

The Policy for implementation of Rural Electrification work within stipulated time frame in the State of Chhattisgarh depends on sanction of district wise Detailed Project Reports with the coverage of whole habitations in Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna and availability of requisite funds from Central Govt. through REC Ltd. The State Govt. of Chhattisgarh intends to complete the balance or supplementary works of rural electrification within the stipulated time.

12. STATUS OF RURAL ELECTRIFICATION AND ACTION PLAN FOR ELECTRIFICATION IN THE STATE OF CHHATTISGARH

12.1 The present status of rural electrification in the State of Chhattisgarh vis-à-vis inhabited villages, electrified villages through conventional and non-conventional means and similarly for Majra/ Tolas are given below: -

Status of Rural Electrification in Chhattisgarh

As on 31.03.2007

Sl. No	Name of District	Total inhabited villages	Electrified	Un-electrified			Total Majra -Tola	Electrified M/Tola	Un-electrified		
				Conventional	Non-Conv.	Total			Conventional	Non-Conv.	Total
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Raipur	2124	2079	16	29	45	853	770	50	33	83
2	Mahasamund	1111	1111	0	0	0	755	661	77	17	94
3	Dhamtari	629	614	10	5	15	525	438	84	3	87
4	Durg	1776	1776	0	0	0	1444	886	554	4	558
5	Rajnandgaon	1605	1599	0	6	6	1008	909	70	29	99
6	Kabirdham	956	883	21	52	73	529	467	28	34	62
7	Bastar	1461	1305	5	151	156	5419	2085	2582	752	3334
8	Kanker	1068	977	4	87	91	3826	1148	2178	500	2678
9	Dantewada	1220	926	2	292	294	4580	707	3062	811	3873
10	Bilaspur	1579	1577	1	1	2	2560	1717	777	66	843
11	Janjgir-Champa	889	889	0	0	0	591	536	55	0	55
12	Korba	710	680	7	23	30	1148	560	497	91	588
13	Raigarh	1433	1415	16	2	18	2243	1355	817	71	888
14	Jashpur Nagar	764	682	3	79	82	2917	2176	524	217	741
15	Surguja	1769	1701	5	63	68	4791	2857	1632	302	1934
16	Korea	650	616	0	34	34	1907	1022	696	189	885
	GRAND TOTAL	**19744**	**18830**	**90**	**824**	**914**	**35096**	**18294**	**13683**	**3119**	**16802**

12.2 District wise status of electrification of villages through conventional and non-conventional means has been shown below: -

Table-A

District wise present Status (As per old definition)

As on 31.03.07

Sl. No	District	Total village as per 2001 Census	Total electrified villages				Balance Un-electrified villages
			Conventional (By CSEB)	Non conventional		Total	
				By CSEB	By CREDA		
1	Raipur	2124	2007	10	62	**2079**	45
2	Mahasamund	1111	1106	0	5	**1111**	0
3	Dhamtari	629	579	0	35	**614**	15
4	Durg	1776	1774	0	2	**1776**	0
5	Rajnandgaon	1605	1551	7	41	**1599**	6
6	Kabirdham	956	860	0	23	**883**	73
7	Bastar	1461	1247	48	10	**1305**	156
8	Kanker	1068	952	9	16	**977**	91
9	Dantewada	1220	807	29	90	**926**	294
10	Bilaspur	1579	1534	0	43	**1577**	2
11	Champa-Janjgir	889	888	0	1	**889**	0
12	Korba	710	618	27	35	**680**	30
13	Raigarh	1433	1403	8	4	**1415**	18
14	Jashpur	764	648	34	0	**682**	82
15	Surguja	1769	1672	20	9	**1701**	68
16	Koriya	650	519	3	94	**616**	34
	Total	19744	18165	195	470	18830	914

Table-B

District wise present Status (As per new definition)

conveyed by Ministry of Power, GoI vide memorandum No.- 42/1/2001-D (RE) dated 05.02.2004

As on 31.03.07

Sl. No	District	Total village as per 2001 Census	Village declared electrified as per old definition	Village declared electrified as per new definition	Balance Un-electrified villages
1	Raipur	2124	2079	1934	145
2	Mahasamund	1111	1111	966	145
3	Dhamtari	629	614	539	75
4	Durg	1776	1776	1761	15
5	Rajnandgaon	1605	1599	1515	84
6	Kabirdham	956	883	726	157
7	Bastar	1461	1305	1019	286
8	Kanker	1068	977	892	85
9	Dantewada	1220	926	545	381
10	Bilaspur	1579	1577	1567	10
11	Champa-Janjgir	889	889	820	69
12	Korba	710	680	592	88
13	Raigarh	1433	1415	1242	173
14	Jashpur Nagar	764	682	665	17
15	Surguja	1769	1701	1570	131
16	Koriya	650	616	441	175
	Total	19744	18830	16794	2036

Table- C

Summary of Village Electrification

As per new definition of electrification of village conveyed by MoP, GoI

Vide Memorandum No.-42/1/2001-D (RE) dated 05.02.2004

• Total inhabited Villages as per 2001 census.	19744 Nos.
• Total Electrified Villages as on 31.03.2007	
(i) By Conventional means (ii) By Non-Conventional means (iii) Total electrified Villages	16129 Nos. 665 Nos. 16794 Nos.
• Percentage Electrification	85.06 %
• Balance Un-electrified Villages	2950 Nos.
(i) Un-electrified villages to be electrified through conventional means. *a) Declared un-electrified due to new definition =2036* *b) Existing un-electrified = 90* *c) Sub-Total =2126* (ii) To be electrified through non-conventional. (iii) Total un-electrified villages	2126 Nos. 824 Nos. 2950 Nos.

12.3 Action plan for electrification of un-electrified villages through conventional means is as shown below: -

Sl. No.	Mode of Electrification	Target					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1	**By conventional means**						
	i) Un-electrified	30	30	30	--	--	90
	ii) Un-electrified due to new definition	200	460	500	438	438	2036
	iii) De-electrified	53	100	105	45	45	348
2	Total (in Nos.)	**283**	**590**	**635**	**483**	**483**	**2474**
3	Funds required (Rs. In Cr.) For conventional	28.30	59.00	63.50	48.30	48.30	247.40
4	Total (Rs. In Cr.)	**28.30**	**59.00**	**63.50**	**48.30**	**48.30**	**247.40**

Note: 1. @ Rs. 10.00 lakh per Village for Conventional.

2. Electrification of Villages through non-conventional is proposed to be done by CREDA through assistance from MNRE.

12.4 District wise status of electrification of Majra/Tolas is as shown below: -

District wise Status of Electrification of Majra-Tolas

As on 31.03.07

Sl. No	District	Total No of Majra-Tolas	Total Electrified Majra-Tolas			Balance Un-electrified Majra-Tolas		
			Conventional	Non conv	Total	Conventional	Non conv	Total
1	Raipur	853	765	5	***770***	50	33	**83**
2	Mahasamund	755	661	0	***661***	77	17	**94**
3	Dhamtari	525	437	1	***438***	84	3	**87**
4	Durg	1444	886	0	***886***	554	4	**558**
5	Rajnandgaon	1008	906	3	***909***	70	29	**99**
6	Kabirdham	529	466	1	***467***	28	34	**62**
7	Bastar	5419	2084	1	***2085***	2582	752	**3334**
8	Kanker	3826	1146	2	***1148***	2178	500	**2678**
9	Dantewada	4580	683	24	***707***	3062	811	**3873**
10	Bilaspur	2560	1707	10	***1717***	777	66	**843**
11	Champa-Janjgir	591	536	0	***536***	55	0	**55**
12	Korba	1148	544	16	***560***	497	91	**588**
13	Raigarh	2243	1353	2	***1355***	817	71	**888**
14	Jashpur	2917	2176	0	***2176***	524	217	**741**
15	Surguja	4791	2856	1	***2857***	1632	302	**1934**
16	Koriya	1907	1013	9	***1022***	696	189	**885**
	Total	**35096**	**18219**	**75**	**18294**	**13683**	**3119**	**16802**

12.5 Summary of electrification of Majra/Tolas is shown below: -

o Number of Majra-Tolas in State.	35096 Nos.
o Electrified till 31.03.2007. a) Conventional b) Non-conventional c) Total	 18219 Nos 75 Nos. 18294 Nos.
o % Electrification of Majra-Tolas.	52.12 %
o Total Un-electrified Majra-Tolas. (i) To be electrified by conventional means. (ii) To be electrified by non-conventional means.	**16802 Nos.** 13683 Nos. 3119 Nos.

12.6 Action plan for electrification of un-electrified Majra/Tolas through conventional means is shown below: -

Sl. No.	Mode of Electrification	Target					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1	By conventional means (RGGVY)	2500	3000	3000	3000	2183	13683
2	Total (in Nos.)	**2500**	**3000**	**3000**	**3000**	**2183**	**13683**
3	Funds required (Rs. In Cr.) For conventional	125.00	150.00	150.00	150.00	109.15	684.15
4	Total (Rs. In Cr.)	**125.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**109.15**	**684.15**

Note: 1. @ Rs. 5.00 Lakh per Majra-Tola for Conventional.

2. Electrification of Majra-Tolas through Non-conventional Means is proposed to be done by CREDA under MNRE.

12.7 Rural Electrification Distribution Backbone (REDB)

(Rs. in crore)

• Number of blocks in the State	146
• Number of blocks not having 33/11 KV Power Sub-Stations. These are: Baderajpur, Makadi, Orchha and Darbha of Bastar district, Katekalyan, Chhindgarh and Usoor of Dantewada district, Manora of Jashpur Nagar district and Odgi & Mainpat of Surguja district.	10
• Fund required for installation of 33/11 KV Sub-Stations in these 10 blocks on an average @ Rs. 4.15 Cr. Per Sub-Stations, which includes required length of 33 KV lines and required capacity of 33/11 KV Sub-Stations.	41.50
• Fund required for augmentation of capacity of existing 33/11 KV Sub-Stations, i) by installinig additional 19 Power Transformers on an average @ Rs. 0.55 Cr. Per Transformer installation. ii) By augmenting the capacity of 54 existing Transformers on an average @ Rs. 0.57 per Transformer.	 10.45 30.78
• Installation of additional 19 Nos. Power Transformers in existing 33/11 KV Sub-Stations of the State, @ Rs. 0.55 Cr. Per additional Power Transformer.	10.45
• **Total fund required for strengthening the existing Rural Electrification Distribution Backbone (REDB)**	**93.18**

Action Plan

(Rs. in crore)

S. No.	Year	Fund Required
1.	2007-08	15.00
2.	2008-09	20.00
3.	2009-10	20.00
4.	2010-11	20.00
5.	2011-12	18.18
	Total	**93.18**

12.8 BPL House-holds electrification and its year wise action plan & fund required are shown below: -

• Total Rural House-holds in the State as per 2001 census.	33,59,078 Nos.
• House-holds electrified as on 31.03.2007.	16,97,678 Nos. (Tent)
• Percentage House-holds electrification.	50.54%
• Balance House-holds to be electrified.	16,61,400 Nos.
(i) Out of Total SC/ST Hh 714402 Nos. 80% is BPL	5,71,522 Nos.
(ii) Out of Total General Hh 946998 Nos. 30% is BPL	2,84,100 Nos.
(iii) Total BPL House-holds to be electrified.	8,55,622 Nos.
(vi) funds required @Rs. 1500/- per House-holds.	128.34 Cr.

Action Plan:-

S.No.	Year	Target (Nos.)	Fund Required (Rs. In Cr.)
1.	2007-08	150000	22.50
2.	2008-09	190000	28.50
3	2009-10	190000	28.50
4	2010-11	190000	28.50
5	2011-12	135622	20.34
TOTAL		**855622**	128.34

12.9 Electrification of un-electrified habitations in electrified villages and action plan are shown below: -

(A) Villages	
• Total Electrified Villages (Conventional)	18165 Nos.
(i) House-hold electrification 100%	1832 Nos. Villages (Tent)
(ii) House-hold electrified more than 75% and fund require @Rs. 1.00 lakh/Village.	2762 Nos./27.62 Cr.
(iii) House-hold electrified between 50% to 75% & required funds @Rs 2.00 akh/Villages.	8150 Nos./163.00 Cr.
(iv) Less than 50% House-hold electrified/ covered and requirement of funds (Rs. In Cr.) @Rs. 2.50 lakh/Village.	5421 Nos./135.50 Cr.
(v) Funds required	16333 Nos./326.10 Cr.

Action Plan:-

S. No.	**Year**	**Target**			**Fund Required (Rs. In Cr.)**
		As above (ii)	As above (iii)	As above (iv)	
1.	2007-08	500	1500	900	57.50
2.	2008-09	600	1800	1200	72.00
3	2009-10	600	1800	1200	72.00
4	2010-11	600	1800	1200	72.00
5	2011-12	462	1250	921	52.65
TOTAL		**2762**	**8150**	**5421**	**326.15**

12.10 Electrification of un-electrified habitations in electrified Majra/Tolas and year-wise Action plan are shown below: -

(B) **Majra-Tolas**	
o Total Electrified Majra-Tola (Conventional)	18219 Nos.
(i) 100% House-hold electrification.	5819 Nos. (Tent.)
(ii) More than 75% House-hold electrified & fund required @ Rs. 0.50 lakh per Majra-Tola.	3523 Nos./ Rs. 17.61 Cr.
(iii) House-hold electrification 50% to 75% and fund required @ Rs. 1.00 lakh per Majra-Tola	6215 Nos./ Rs. 62.15 Cr.
(vi) House-hold electrification less than 50% and fund required @ Rs. 2.00 lakh per Majra-Tola.	2662 Nos./ Rs. 53.24 Cr.
(v) funds required	12400 Nos./ Rs. 133.00Cr.

Action Plan:-

S. No.	**Year**	**Target**			**Fund Required (Rs. In Cr.)**
		As above (ii)	As above (iii)	As above (iv)	
1.	2007-08	600	900	400	20.00
2.	2008-09	800	1400	700	32.00
3	2009-10	800	1400	700	32.00
4	2010-11	800	1400	700	32.00
5	2011-12	523	1115	162	17.00
TOTAL		**3523**	**6215**	**2662**	**133.00**

12.11 Combined financial outlay for rural electrification in the State of Chhattisgarh is shown below: -

Sl. No.	Description of work	Quantum of work in Chhattisgarh (in Nos.)	Actual funds required (Rs. In Cr.)
1	Electrification of un-electrified Villages.	2474	247.40
2.	Electrification of un-electrified Majra-Tolas.	13683	684.15
3.	Rural Electrification Distribution Backbone (REDB)		93.18
4.	BPL Rural House-holds electrification.	855622	128.34
5.	Augmentation of backbone network in already electrified- (i) Villages (ii) Majra-Tolas	 16333 12400	 326.15 133.00
6	Outlay for RE Works.		**1612.22**

Action Plan :-

S No.	Description of Work	Fund Required (Rs. In Crore)					Total
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	Electrification of un-electrified Villages.	28.30	59.00	63.50	48.30	48.30	247.40
2.	Electrification of un-electrified Majra-Tolas.	125.00	150.00	150.00	150.00	109.15	684.15
3.	Rural Electrification Distribution Backbone (REDB)	15.00	20.00	20.00	20.00	18.18	93.18
4.	BPL Rural House-holds electrification.	22.50	28.50	28.50	28.50	20.34	128.34
5.	Augmentation of backbone network in already electrified- (i) Villages (ii) Majra-Tolas	 57.50 20.00	 72.00 32.00	 72.00 32.00	 72.00 32.00	 52.65 17.00	 326.15 133.00
6	Outlay for RE Works.	268.00	361.50	366.00	350.80	265.62	1612.22

* The figure of Majra-Tola is tentative as no census is available regarding exact Nos. of Majra-Tola.

13. AMENDMENT TO THE PLAN: -

Based on the inputs, Govt. shall review the progress and accordingly suitable amendments in the plan shall be made from time to time, as and when required.

14. LEGAL PROVISION: -

14.1.1 Section 6 of Electricity Act 2003 empowers the State to endeaver to supply electricity to all areas including villages and hamlets. In continuation to this, the recently notified Rural Electrification Policy of the Ministry of Power, Govt. of India provides for notification of Rural Electricity Plan by all the State Govts.

14.2 As per conditionalities for the implementation of RGGVY, the State Govt. has to notify the implementation of the Rural Electrification work under RGGVY and accordingly this plan serves as the benchmark for monitoring the progress of various works included in the detailed project reports submitted by respective CPSUs, for Rural Electrification works, in all the 16 districts of the State of Chhattisgarh.

**

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/61.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भिलौनी प.ह.नं. 08	0.024	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ढाबाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 10 अ/82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	भाटापारा प. ह. नं. 7	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक/3713 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	सिमकेदा	4.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	सिमकेदा जलाशय प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007.

क्रमांक/667/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	विनायकपुर प. ह. नं. 25	0.08	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	सकरौद डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/670/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	भरदा प. ह. नं. 20	0.10	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	भरदा उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/673/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	अंजोरा प. ह. नं. 1	6.62	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	भेंड़सर नाला जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/676/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	ढाबा प. ह. नं. 1	2.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	भेंड़सर नाला जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/679/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	भेड़सर प. ह. नं. 7	2.20	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	भेंड़सर नाला जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1016/लेखापाल/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	अर्जुनी प. ह. नं. 28	1.56	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	पुनार कसा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1018/ले.पा./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा प. ह. नं. 25	2.11	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	गुरामी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1020/ले.पा./भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	पापरा	3.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग, बालोद.	पिरिद - पापरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1022/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	डौण्डी - प. ह. नं. 32	10.07	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1024/ले.पा./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मड़ियाकट्टा	1.10	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल जल संसाधन, संभाग, दुर्ग.	मड़ियाकट्टा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1026/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	पुनारकसा	11.14	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत पुनारकसा जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1028/ले.पा./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	अरमुरकसा	2.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल जल संसाधन, संभाग दुर्ग.	भोरठोला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1030/लेखापाल/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	छोटा प. ह. नं. 27	0.92	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	गुरामी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1032/ले.पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	गुरामी	3.59	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत पुनारकसा जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1034/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मलकुंवर प. ह. नं. 30	5.03	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1036/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	गोटुलमुंडा प. ह. नं. 24	0.22	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1038/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	गुदुम प. ह. नं. 33	26.91	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1040/ले.पा./भू-अर्जन/2007.—उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर द्वारा दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु तहसील बालोद के ग्राम मरवाटोला, प. ह. नं. 32 में स्थित कुल खसरा नम्बर 22 की निजी भूमि व रकबा 3.54 हे. 8.85 एकड़ भूमि को अनिवार्य अर्जन की मांग पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी द्वारा लोकहित में तत्काल आधिपत्य प्राप्त करने हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव पूर्वानुमति के लिए भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2006-2007 इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

2. परीक्षण पर प्रस्तावित कुल भूमि रकबा 3.54 हे./8.85 एकड़ जिसका विवरण संलग्न प्रकरण के सूची में दर्शित है, को लोकहित में अनिवार्य अर्जन किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तावित भूमि के अभाव में दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण कार्य असंभव हो जायेगा.

3. अतएव मैं सुब्रत साहू कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव, दुर्ग छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-07-232/2003 रायपुर दिनांक 03 सितम्बर 2003 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि के अनिवार्य अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करता हूं.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1042/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	खैरवाही प. ह. नं. 30	30.33	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1044/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अवारी प. ह. नं. 32	2.56	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघांट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1046/ले.पा./2007/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	छिंदगांव प. ह. नं. 33	3.93	मुख्य अभियंता, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.)	दल्लीराजहरा रावघांट-जगदलपुर नई रेलवे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1048/ले.पा./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मार्री प. ह. नं. 8	0.876	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद.	देवरी-मार्री रीवागहन मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक/1050/ले.पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	गुरामी	63.66	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	उरेटा गुरामी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक/69/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पीढ़ी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1097	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गढ़सिवनी मोहकम मार्ग में पीढ़ी नाला में सेतू निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाटिकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	65	0.182
योग		0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो सेतु पहुंच मार्ग तक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-विश्वनाथपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.547
1/5	0.040
2	0.462
3/1	0.109
3/2	0.101
3/3	0.129
3/4	0.097
3/5	0.089
4	1.368
5/1	0.336
5/2	0.174
6	0.117
7/1	0.045
7/2	0.045
8/1	0.028
8/2	0.206
9/1	0.384
9/2	0.170
9/3	0.186
9/4	0.247
9/5	0.259
10	0.336
11/2	0.566
12	0.656
13/1	0.320
13/2	0.229
16	0.033
17	0.223
18/1	0.065
96	0.121
97	0.073
98	0.065
117	0.041
योग 33	7.867

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-परसदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
465/1	0.174
530/2	0.032
534/2	0.109
562/2	0.081
562/4 क	0.235
565/1 क	0.231
565/3	0.065
577/4	0.121

	(1)	(2)
	605/3/3	0.121
योग	09	1.169

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोइंग (भोजपल्ली)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.071 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79/2	0.202
	79/3	0.405
	79/4	0.097
	79/11	1.214
	82/8	0.121
	82/12	0.032
योग	06	2.07[illegible]

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-शकरबोगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.923 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	281/1	0.040
	281/4	0.093
	281/11	0.162
	313	0.040
	314/1	0.040
	314/2	0.008
	315/1	0.130
	317	0.045
	319	0.049
	320	0.008
	335/1	0.154
	335/2	0.049
	335/3	0.105
योग	13	0.923

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोतमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	380/2	0.068
	496	0.142
योग	02	0.210

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पुसल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	883/2	0.607
	882/2, 884/2	0.073
योग	02	0.680

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
790/3	0.101
793/1	0.045
793/2	0.138
794/1 क, 803	0.260
836/5, 837/8	0.069
838/1	0.324
838/2	0.275
838/3	0.081
927/3	0.065
926	0.125
927/1	0.045

	(1)	(2)
	927/2	0.073
	930/2	0.148
	948/5	0.223
	948/6	0.542
	949/3	0.015
योग	15	2.529

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-अड़बहाल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	3/1	0.049
	3/2	0.049
	10	0.016
	13	0.089
	34/1	0.202
योग	05	0.405

(2) जलाशय योजना प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-कातुलबोड़
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	49/1	0.13
	49/2	0.08
	50	0.18
योग		0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधवा जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बुंदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127	0.17
126/1	0.38
121 (ल)	0.23
117	0.05
82	0.21
250	0.09
129/1	0.19
137	0.29
135	0.18
129/3	0.24
260	0.23
253	0.18
278	0.13
276	0.92
141	0.28
280	0.38
273	0.81
266	0.89
264	0.43
293	0.10
306	0.17
327	0.07
104	0.05
296	0.18
99/3	0.08
99/4	0.03
140	0.06
125 (ल)	0.20
81	0.25
252	0.16
251	0.11
136	0.19
133	0.39
130	0.21
258	0.20
254	0.14
247	0.17
242	0.24
123	0.19
279	0.26
272	0.68
268	0.25
263	0.46
80	1.66
307	0.30
328	0.04
105	0.04
99/5	0.03
126/2	0.18
124	0.79
257	0.16
106	0.03
241	0.32
277/1	0.43
139	0.34
270	2.50
132	0.17
134 (ल)	1.48
256	0.21
255/2	0.20
246 (ब)	0.15
85	0.16
281	0.19
297	0.04
271	0.29
265	0.19
262	0.49
298	0.05
308	0.18
348	0.06
118	0.06
129/2	0.24
126/3	0.15
122	0.32

(1)	(2)
120	0.19
84	0.97
248	0.21
275	0.62
138	0.34
286	0.51
131	0.24
261/1	0.50
255/1	1.53
249	0.22
245	0.06
238	0.09
282	0.14
274	0.63
269	0.31
309	0.41
261/2	0.20
305	0.45
310	0.34
86	0.11
99/1	0.06
267	0.43
योग	31.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधवा जलाशय के डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 5 मई 2007

क्रमांक/क/खलि/तीन-1/खुला घोषित/07.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	ख. नं.	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरदहा	80	आरंग	पुराना खसरा नंबर 1153/3, 7, 8, 12 एवं 1157/8, 9, 11, 12 का भाग नया खसरा नंबर 1951, 1952/2, 1953/1, 1953/2, 1954/3	4.10 एकड़ निजी भूमि.	श्री ठाकुर दास कासवानी आ. श्री ढोलनदास साकिन, लाखे नगर रायपुर के नाम पर ग्राम-नरदहा के निजी स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1153/3, 7, 8, 12 एवं 1157/8, 9, 11, 12 का भाग रकबा 4.10 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर उत्खनिपट्टा अवधि 18-5-92 से 17-5-97 तक स्वीकृत पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.

[illegible] सिंह सोनवानी,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक/4928/अधीक्षक/2007.—श्री एम. एल. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा द्वारा अवकाश उपरांत अपने कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4735/अधीक्षक/2007 कोरबा दिनांक 24-05-2007 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है :—

01. **श्री एम. एल. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर,**
प्रभारी अधिकारी

1. वरिष्ठ लिपिक
2. विशेष कक्ष
3. सहायक अधीक्षक विविध
4. सांख्य लिपिक
5. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
6. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा अन्य कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	संयोजन अधिकारी
1.	श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
2.	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर	श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर
3.	श्री एम. के. मंधानी, डिप्टी कलेक्टर	श्री एम. एल. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर
4.	श्री एम. एल. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर	श्री एम. के. मंधानी, डिप्टी कलेक्टर
5.	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर	श्री आर. एक्का, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
7.	श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर	श्री एम. के. मंधानी, डिप्टी कलेक्टर
8.	श्री आर. एक्का, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ. ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 3 मई 2007

क्रमांक 9732/बं. श्र. प्र./07.—बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 13 (3) के तहत जिला कोरिया के अन्तर्गत अनुभाग स्तर पर निम्नानुसार सतर्कता समिति गठित की जाती है—

अनुभाग, क्षेत्र बैकुण्ठपुर.

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया, सभापति
2. श्री अमर सिंह ठाकुर ग्राम पंचायत चरचा जिला कोरिया

3. श्री लक्ष्मण नायक, सरपंच ग्राम पंचायत कटकोना तह. बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
4. श्री छत्रपाल चौधरी ग्राम पोड़ी पो. रजौली तहसील सोनहत जिला कोरिया
5. अध्यक्ष, लायन्स क्लब बैकुण्ठपुर, सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला कोरिया
6. श्रीमती अंजली जायसवाल पत्नी कृष्ण बिहारी जायसवाल ओड़गी नाका बैकुण्ठपुर सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला कोरिया
7. शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सोनहत जिला कोरिया
9. अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया

अनुभाग, क्षेत्र मनेन्द्रगढ़

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया, सभापित
2. श्री गोपाल सिंह सरपंच ग्राम पंचायत गड़तर विकासखण्ड जनकपुर जिला कोरिया
3. श्री ठाकुर दयाल आ. द्वारिका पंच ग्राम पंचायत कठौतिया जिला कोरिया (अ. जा.)
4. अध्यक्ष जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (अ. ज. जा.)
5. श्री रामचरित्र द्विवेदी पत्रकार नवभारत-सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला कोरिया
6. श्री विजय सिंह राणा झगराखाण्ड जिला कोरिया (सामाजिक कार्यकर्त्ता)
7. प्रबंधक जिला सहकारी बैंक शाखा मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
9. अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया

अनुभाग, क्षेत्र खड़गवां

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) खड़गवां-चिरमिरी (सभापित)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खड़गवां जिला कोरिया
3. अतिरिक्त तहसीलदार, खड़गवां जिला कोरिया
4. श्री अवध बिहारी जायसवाल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खड़गवां जिला कोरिया
5. श्री कान्त शुक्ला पत्रकार नवभारत-खड़गवां जिला कोरिया
6. शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खड़गवां जिला कोरिया
7. श्रीमती मौसमी पाल चिरमिरी सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला कोरिया
8. श्रीमती सरस्वती शाहा अधिवक्ता छोटा बाजार चिरमिरी जिला कोरिया
9. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह सरपंच ग्राम पंचायत खड़गवां जिला कोरिया (अ. ज. जा.)

अनुभाग स्तरीय समिति की प्रति तिमाही बैठकें आयोजित किए जाएं.

कलेक्टर